न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
111/2020	दावा 53,88,92ए,188 RTA	23.09.2020	01.04.2021

1. सतार पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. यासीन पुत्र लाल मोहम्मद
3. मुकीना बानो पत्नी हाजी गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद
4. नत्थू पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद
5. मो. आजम पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद

(क्रमांक 2 से 5) जाति लोहार वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड़, चूरू तह. व जिला चूरू

—वादीगण—

बनाम

1. युसुफ पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. बाबूदीन पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. जाफर पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
4. मो. हुसैन पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
5. साबिर पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
6. मोहम्मद इकबाल पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
7. मोहम्मद इदरीश पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
8. मोहम्मद इशहाक पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
9. मोहम्मद बुन्दु पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
10. मोहम्मद मुराद पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
11. शकीरा बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
12. बिश्मत बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
13. रुबीना बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
14. मदीना बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
15. जुलेखा बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
16. नसीम खातून पत्नी याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
17. मोहम्मद मुबारिक अली पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
18. मोहम्मद खुर्शीद पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
19. मोहम्मद महमूद पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
20. आसिफ पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
21. हुसन बानो पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
22. रुकसाना बानो पुत्री याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
23. सुबराती पत्नी रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
24. मुस्लिम पुत्र रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
25. मुमताज पुत्र रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
26. नसरत बानो पुत्री रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
27. माफिया पुत्री रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद

(क्रमांक 3 से 27) जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12, हाजन मस्जिद के पास, तह. व जिला चूरू

28. मोबीना बानो पुत्री रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
29. अयूब अली पुत्र शोकत अली
30. इस्लाम पुत्र शोकत अली
31. मकसूद पुत्र शोकत अली
32. सिकन्दर पुत्र शोकत अली

(क्रमांक 28 से 32) जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड़ तह. व जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

33. आरीफ पुत्र आमीन
34. इकबाल पुत्र आमीन
35. जब्बार पुत्र आमीन
36. जैतून पत्नी आमीन
37. मुस्तफा पुत्र आमीन
38. सहाबुदीन पुत्र आमीन
39. हसमूदीन पुत्र सदीक
40. शरीफ पुत्र सदीक
41. मुस्ताक पुत्र सदीक
42. मो. अनवर पुत्र सदीक
43. जाकिर पुत्र सदीक
44. उम्मेद अली पुत्र सदीक
45. कमरूदीन पुत्र सदीक
46. खुशी मोहम्मद पुत्र समसुदीन
47. ताज मोहम्मद पुत्र समसुदीन
48. लियाकत अली पुत्र समसुदीन

(33–48) जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड तह. व जिला चूरू

49. मोहम्मद मुस्तफा पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, तह. व जिला चूरू
50. रसीद पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतीया रोड़ तह. व जिला चूरू
51. बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, तह. व जिला चूरू
52. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

–मुख्य प्रतिवादीगण–

53. नजमुदीन पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
54. सैयद हुसैन पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
55. जमीला बानो पुत्री हाजी गुलाबनबी पुत्र लाल मोहम्मद
56. नजमा पुत्री हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
57. राबिया पुत्री गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
58. शमीम पुत्री हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
59. शाकिरा पुत्री हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद

(53–59) जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड तह. व जिला चूरू

–गौण प्रतिवादीगण–

<u>दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 आर.टी.ए.</u>

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री शिवगौतम सोलंकी वादीगण
2. अधिवक्ता श्री ताहिर खान प्रतिवादी सं. 1 से 21, 23–26, 28–41, 44–51, 55–59
3. पैरोकार राज प्रतिवादी सं. 52 उपस्थित।

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 92 क, 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख. नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्ट., ख. नं. 305 तादादी 0.3920 हैक्ट. एवं ख नं. 317 तादादी 1.5176 हैक्ट. रोही मौजा गाजसर तहसील व जिला चूरू में स्थित जो कि वादीगण, गोण प्रतिवादीगण, मुख्य प्रतिवादीगण, [illegible] प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि हमारी दादा [illegible] पैतृक कृषि भूमि है जो कि कुर्सीनामा दावा के साथ संलग्न है उस वंशवृक्ष के अनुसार ख. नं. 304 [illegible] 5.7541 हैक्ट. रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू में हमारे पिता लाल मोहम्मद [illegible] कृषि भूमि में 1/4 हिस्सा अर्थात 1.4385 हैक्ट. (05 बीघा 17 बिस्वा) है। लाल मोहम्मद पुत्र जमाल जाति लुहार का कुर्सीनामा इस दावा के साथ संलग्न है। वादीगण, गोण प्रतिवादीगण, मुख्य प्रतिवादीगण जो कि लाल मोहम्मद पुत्र जमाल के वारिस हैं जिन्होने कृषि भूमि बाबत आपसी बाहमी बंटवारा किया हुआ है जिसमें

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीगण संख्या 1 से 5 व गोण प्रतिवादीगण संख्या 53 से 59 (यासीन, सतार, गुलामनबी के वारिस) के हिस्से में ख. नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्ट. रोही गाजसर की कृषि भूमि में 1/4 (1.4385 हैक्ट. या 5 बीघा 17 बिश्वा) हिस्से पांती में आई एवं मुख्य प्रतिवादी संख्या 1 से 28 (अब्दुल्लाह के वारिस युसुफ, बाबूदीन) के हिस्से पांती में ख. नं. 305 तादादी 0.3920 हैक्ट., ख. नं. 317 तादादी 1.5176 हैक्ट. कुल किता 02 कुल तादादी 1.9096 हैक्ट. रोही गाजसर तहसील व जिला चूरू की कृषि भूमि आई। उक्त कृषि भूमि बाहमी एवं मौखिक बंटवारानामा के अनुसार हम वादीगण संख्या 1 ता 5, गौण प्रतिवादीगण संख्या 51 से 57 उक्त कृषि भूमि बंटवारे के अनुसार आज तक उक्त कृषि भूमि ख. नं. 304 5.7541 हैक्ट. में 1/4 हिस्सा अर्थात 1.4385 हैक्ट. (5 बीघा 17 बिश्वा) में हमारा संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा उक्त कृषि भूमि में मुख्य प्रतिवादी संख्या 1 से 28 उक्त मुख्य प्रतिवादी को राजस्व रिकॉर्ड में हटाकर हमारे वादीगण संख्या 1 से 5 व गोण प्रतिवादीगण संख्या 53 से 59 मुख्य प्रतिवादी के हिस्से की कृषि भूमि हम वादीगण व गोण प्रतिवादीगण के नाम हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के लिए यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रहा है।

उक्त कृषि भूमि मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 के हिस्से की कृषि भूमि हम वादीगण संख्या 1 से 5 व गोण प्रतिवादीगण संख्या 53 से 59 के बराबर बराबर हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाने अर्थात मुख्य प्रतिवादीगण के हिस्से पांती की कृषि भूमि के नाम राजस्व में हटाकर हम वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड के अनुसर आये हुए हिस्से में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे। हमारे पिता लाल मोहम्मद का इंतकाल हुआ तो पैतृक इंतकाल संख्या 89 दिनांक 02.02.1980 हमारे नाम कुर्सीनामा अनुसार छः भाईयों के नाम दर्ज हुआ और जो संवत 2048 से 2051 में लगातार छः भाईयों के नाम चला आ रहा था मगर हमारे चाचा सुलेमान फौत हुए तब इंतकाल संख्या 319 दिनांक 27.07.1998 में जमाबन्दी संवत 2056 से 2059 में वादी संख्या 2 यासीन का नाम राजस्व कर्मचारी की भूलवश से छूट गया जो आज तक राजस्व रिकॉर्ड में भूलवश चली आ रही है। उक्त राजस्व कर्मचारी की भूल के कारण वादी यासीन किसी प्रकार सरकारी, अर्द्धसरकारी व अन्य योजना का लाभ नहीं ले सकता इसलिए उक्त राजस्व कर्मचारी के भूलवश नाम छूट जाने के कारण यह दावा अदालत मातहत में पेश किया जा रही है जिसकी सुधार त्रुटि हेहु यह दावा पेश किया जा रहा है। अब वादीगण, गौण प्रतिवादीगण, मुख्य प्रतिवादीगण एवं प्रतिवादीगण अपने अलग–अलग हिस्सों व अलग–अलग खेतों में अपने बाहमी भाई बंटवारे के अनुसार काश्त कर रहे हैं और वादगत कृषि भूमि शामलात में रहने से वादग्रस्त कृषि भूमि के अच्छे व हल्की किस्म को लेकर पक्षकारान के मध्य तनाजा बना रहता है इसलिए वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि अपने हिस्से में आई हुई कृषि भूमि खसरा नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्ट. रोही मौजा गाजसर तहसील व जिला चूरू की 1/4 हिस्से (1.4385 हैक्ट. अर्थात 5 बीघा 17 बिश्वा) खातेदारी भूमि का खाता व लगान अलग कायम करवायें जिस हेतु कृषि भूमि के विभाजन व रिकॉर्ड दुरूस्ती घोषणात्मक खातेदारी विभाजन का यह दावा पेश किया जा रहा है। वादीगण, गोण प्रतिवादीगण ने मुख्य प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण को कहा व कहलवाया कि साथ चलकर वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के हिस्से की खातेदारी कृषि भूमि का कब्जा व लगान अलग–अलग कायम करवा लें, मगर प्रतिवादीगण टाल [illegible] आखिरकार दिनांक 21.09.2020 को प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ–साफ [illegible] लिहाजा तारीख दिनांक 21.09.2020 से वाद कारण तथा वाद [illegible] को भूमि मजकूर का खातेदार काश्तकार होने से व प्रतिवादी[illegible] हो गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उक्त कृषि भूमि बैंक के रहन न होने के कारण बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दावा कृषि भूमि विभाजन का है तथा LAND HOLDER होने के कारण दावा हाजा में राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी चूरू (राजस्थान)
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सरकार को दावा हाजा में पक्षकार प्रतिवादीगण बनाया गया है मगर दावा में राज्य सरकार के हितों के प्रतिकूल असर डालने वाला कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए दावा में पूर्व धारा 80 जा. दी. के अन्तर्गत नोटिस दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। निवास स्थान फेरीकेन व वादगत कृषि भूमि ग्राम गाजसर तहसील व जिला चूरू में अवस्थित होने के कारण अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में स्थित है इसलिए अदालतवाला को दावा के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है तथा दावा मुकर्रर शुदा कोर्ट फीस पर हर प्रकार के अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नीचे लिखेनुसार डिक्री फरमाया जावेः–

(क) जरिये डिक्री कृषि भूमि क्षेत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती घोषणात्मक खातेदारी विभाजन कृषि भूमि खसरा नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्ट. रोही मोजा गाजसर में से वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा अर्थात 1.4385 हैक्ट. (05 बीघा 17 बिश्वा) हिस्सा की भूमि की खातेदारी दर्ज कर एवं मुख्य प्रतिवादीगण संख्या 1 से 28 की खातेदारी कृषि भूमि से नाम हटाकर बाहमी बंटवारेनामे के अनुसार वादीगण संख्या 1 से 5 व गौण प्रतिवादीगण संख्या 53 से 59 के हिस्से की कृषि भूमि का राजस्व रिकॉर्ड उनके कदिमी चले आ रहे कब्जा, काश्त, अधिकार एवं आपसी मौखिक बंटवारानामा कें अनुसार दुरूस्त किया जावे। हम वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के भाग पर मुख्य प्रतिवादीगण व प्रतिवादीगण कब्जा काश्त न करें व अन्य फैल या तर्क फल ना करे जिससे वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त व हक अधिकार पर विपरीत असर पड़े।

(ख) जरिये डिक्री वादी यासीन का नाम राजस्व कर्मचारी की भूल के कारण छूट गया है उसका नाम दर्ज कर उसका हिस्सा पांती नियमानुसार दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में उसके वारिसान के नामों का अमल दरामद किया जावे।

(ग) खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या दौराने वाद हो जावे वो भी वादीगण को दिलवाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किये गये जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 21, 23 से 26, 28 से 41, 44 से 51, 55 से 59 की ओर से श्री सिकन्दर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं जवाबदावा (इकबाल जवाब) एवं प्रतिवादी सं. 52 की ओर से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 22, 27, 42, 43, 53, 54 को पुनः सम्मन जारी किये गये। उक्त प्रतिवादीगण के सम्मन इन्कारी से प्राप्त हुए जिन पर दो साक्ष्यों के हस्ताक्षर अंकित होने से तामील विधिवत होना माना गया परन्तु उक्त प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इनको न्यायालय समय में बार–बार आवाजें लगाई गईं परन्तु बिना कोई उचित कारण के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी सं. 22, 27, 42, 43, 53, 54 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी सं. 1 से 21, 23 से 26, 28 से 51 की ओर से पेश इकबालिया जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद संख्या 01 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार हैं जो वादी को राजस्व रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित करते हैं। दावा की मद संख्या 02 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है जिसमें हमारे पिता लाल मोहम्मद की सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी है। दावा की मद संख्या 03 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण अपने जमाबंदी और हिस्सा पांती पर कब्जा काश्त करते हैं और पारिवारिक बंटवारा मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है जबकि विधिक रूप से नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:35:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

किया हुआ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खाता संयुक्त एवं अविभाजित है जो कि सही है। वादीगण, मुख्य प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण द्वारा रोही गाजसर में ख. नं. 304 व 305, 317 रोही गाजसर में स्थित है जिस पर हमारा लाल मोहम्मद के वारिसों का आपस में बाहमी बंटवारा किया हुआ है जो कि उक्त दावे में लिखा स्वीकार है। दावा की मद संख्या 04 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है। वादीगण व गौण प्रतिवादगण का हिस्सा भी अलग कर दिया जाता है तो कोई एतराज नहीं है। क्योंकि हमारा पारिवारिक मौखिक बंटवारा हुआ है जबकि कानूनी बंटवारानामा नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि में हमारा नाम हटाया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 05 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकर है और उक्त कृषि भूमि ख. नं. 304 में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का नाम रखा जाये और हमारा नाम उक्त कृषि भूमि से हटाया जाये तो किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है एवं उस खसरे की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के हिस्से में की जावे।

दावा की मद सं. 06 में वर्णित किये गये तथ्यों में हमारे चाचा सुलेमान के फौत होने के कारण वादी संख्या 02 यासीन का नाम उक्त कृषि भूमि में लिपिकीय भूल के कारण छूट गया जो कि उक्त यासीन का नाम उक्त जमाबन्दी में जोड़ा जावे और उक्त कृषि भूमि को दुरूस्त कर यासीन का हिस्सा स्पष्ट दर्शाया जावे जिस बाबत हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 07 में वर्णित किये गये तथ्य सही व स्वीकार है और वादीगण गौण प्रतिवादीगण का खाता विभाजन रिकॉर्ड दुरूस्ती घोषणात्मक खातेदारी दी जाती है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 08 में वर्णित किये गये तथ्य कानूनी है जिसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 09 में वर्णित किये गये तथ्य जो कि हमारी कृषि भूमि किसी भी प्रकार से किसी बैंक अथवा अन्य किसी संस्था के यहां रहन नहीं है। दावा की मद सं. 10 में वर्णित किये गये तथ्य कानूनी है जिसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद संख्या 11 में वर्णित किये गये तथ्य कानूनी है जिसका जवाब देने की आवश्यता नहीं है। दावा की मद सं. 11 (क) जो वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि उनके द्वारा उनके पारिवारिक मौखिक भाई बंटवारानामा व कब्जे काश्त के अनुसार मांग की गई है जो कि हम मुख्य प्रतिवादीगण का नाम उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 304 रोही गाजसर से हमारा नाम हटाया जाता है तो हमें किसी प्रकार की आपति एतराज नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नाम हटाया जाता है और हमारे बनने वाले हिस्से की कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है एवं खाता विभाजन किया जाता है तो भी हमें किसी प्रकार की आपति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 11 (ख) वादीगण संख्या 2 का नाम उक्त कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारी की भूल की वजह से नाम छूट गया उसे पुनः जोड़ने पर हमें किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है उक्त तथ्य हमें स्वीकार है। दावा की मद सं. 11 (ग) अस्वीकार है जिस बाबत लेख है कि उक्त मुकदमा का हर्जा खर्चा वादीगण से प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। दावा की मद सं. 11 (घ) आंशिक स्वीकार है। अन्य कोई अनुतोष जो उचित एवं हितकर प्रतिवादीगण हो अथवा दौराने वाद हो जावे वोह सब भी प्रदान किया जावे।

अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व ऐतराज नहीं होगा। इसके साथ हम मुख्य प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम की जाती है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है। क्योंकि उक्त कृषि भूमि का लालमोहम्मद के वारिसों का आपस में बाहमी बंटवारानामा किया हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी सं. 29 से 41, 44 से 48 व 50 की ओर से पेश इकबालिया जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 01 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार हैं जो वादी के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

रिकॉर्ड व अन्य दस्तावेजी प्रमाणित साक्ष्य से स्वयं प्रमाणित करने हैं। दावा की मद सं. 02 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है जिसमें हमारे पिता लाल मोहम्मद की सम्पूर्ण कृषि भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी है। दावा की मद सं. 03 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण अपने जमाबंदी और हिस्सा पांती पर कब्जा काश्त करते हैं और पारिवारिक बंटवारा मौखिक रूप से विभाजन किया हुआ है जबकि विधिकरूप से नहीं किया हुआ है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में खाता संयुक्त एवं अविभाजित है जो कि सही है। वादीगण, मुख्य प्रतिवादीगण, प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण द्वारा रोही गाजसर में खसरा नम्बर 304, 305 व 317 रोही गाजसर में स्थित है जिस पर हमारा लाल मोहम्मद के वारिसों का आपस में बाहमी बंटवारा किया हुआ है जो कि उक्त दावे में लिखा स्वीकार है। दावा की मद सं. 04 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है। वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का हिस्सा भी अलग कर दिया जाता है तो कोई एतराज नहीं है क्योंकि हमारा पारिवारिक मौखिक बंटवारा हुआ है जबकि कानूनी बंटवारानामा नहीं हुआ है। उक्त कृषि भूमि में हमारा नाम हटाया जाता है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 05 में वर्णित किये गये तथ्य स्वीकार है और उक्त कृषि भूमि खसरा संख्या 304 में वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का नाम रखा जाये और हमारा नाम उक्त कृषि भूमि से हटाया जाये तो किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज नहीं है एवं उस खसरे की खातेदारी वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के हिस्से में की जावे।

दावा की मद सं. 06 में वर्णित किये गये तथ्यों में हमारे चाचा सुलेमान के फौत होने के कारण वादी संख्या 02 यासीन का नाम उक्त कृषि भूमि में लिपिकीय भूल के कारण छूट गया जो कि उक्त यासीन का नाम उक्त जमाबन्दी में जोड़ा जावे और उक्त कृषि भूमि को दुरुस्त कर यासीन का हिस्सा स्पष्ट दर्शाया जावे जिस बाबत हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की आपति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 07 में वर्णित किये गये तथ्य सही व स्वीकार है और वादीगण व गौण प्रतिवादीगण का खाता विभाजन रिकॉर्ड दुरुस्त घोषणात्मक खातेदारी दी जाती है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है। दावा की मद सं. 08 में वर्णित किये गये तथ्य कानूनी है जिसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 09 में वर्णित किये गये तथ्य जो कि हमारी कृषि भूमि किसी भी प्रकार से किसी बैंक अथवा अन्य किसी संस्था के यहां रहन नहीं है। दावा की मद सं. 10 में वर्णित किये गये तथ्य कानूनी है जिसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 11 में वर्णित किये गये तथ्य कानूनी है जिसका जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। दावा की मद सं. 11 (क) जो वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि उनके द्वारा उनके पारिवारिक मौखिक भाई बंटवारानामा व कब्जे काश्त के अनुसार मांग की गई है जो कि हम मुख्य प्रतिवादीगण का नाम उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 304 रोही गाजसर से हमारा नाम हटाया जाता है तो हमें किसी प्रकार की आपति एतराज नहीं है तथा राजस्व रिकॉर्ड में हमारा नाम हटाया जाता है और हमारे बनने वाले हिस्से की कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम की जाती है तो हमें कोई आपति नहीं है एवं खाता विभाजन किया जाता है तो भी हमें किसी प्रकार की आपति एतराज नहीं है। क्योंकि हमारे हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त लाल मोहम्मद की सम्पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि में 1/4 हिस्से पर यह दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का है। के वारिस की कृषि भूमि का बंटवारा [illegible] की मद सं. 11 (ख) वादीगण संख्या 2 का नाम उक्त कृषि भूमि में राजस्व कर्मचारी [illegible] से नाम छूट गया उसे पुनः जोड़ने पर हमें किसी प्रकार की को[illegible] तथ्य हमें स्वीकार है। दावा की मद सं. 11 (ग) अस्वीकार है [illegible] कि उक्त मुकदमा का हर्जा खर्चा वादीगण से प्रतिवादीगण को दिलवाया जावे। दावा की [illegible] सं. 11 (घ) आंशिक स्वीकार है। अन्य कोई अनुतोष जो उचित एवं हितकर प्रतिवादीगण हो अथवा दौराने वाद हो जावे वोह सब भी प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपति व ऐतराज नहीं होगा इसके साथ उक्त कृषि भूमि मुख्य प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि वादीगण व गौण प्रतिवादीगण के नाम की जाती है तो हम प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपति एतराज नहीं है क्योंकि हमारे हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है क्योंकि उक्त लाल मोहम्मद की सम्पूर्ण खातेदारी कृषि भूमि में 1/4 हिस्से पर यह दावा घोषणात्मक, रिकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का है।

प्रतिवादी सं. 52 राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज द्वारा पेश जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 व 2 राजस्व रिकार्ड व वादी से सम्बन्धित होने से स्वीकार हैं। मद सं. 3 के जवाब की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह मद वादीगण के परिवार से सम्बन्धित है। दावा की मद सं. 4 व 5 वादीगण, प्रतिवादीगण से सम्बन्धित है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। मद सं. 6 जो राजस्व रिकार्ड के अनुसार यासीन पुत्र लालमोहम्मद का नाम सहवन/भूलवश जमाबन्दी सम्वत् 2056–2059 से खातेदार का नाम भूलवश छूट गया था एवं उक्त खातेदार यासीन का नाम राजस्व रिकार्ड मिलान एवं देखकर उक्त जमाबन्दी में जोड़ा जाना उचित है एवं उक्त हिस्सा लालमोहम्मद के वारिसान से शुद्ध किया जाना उचित है। मद सं. 7 आंशिक स्वीकार है। मद सं. 8 अस्वीकार है क्योंकि वादीगण व प्रतिवादीगण कभी भी अदालतवाला नहीं आये एवं अपने खाता व लगान की कोई मुकदमा किया। मद सं 9 व 10 स्वीकार है व मद सं. 11 क आंशिक स्वीकार है। मद सं. 11 ख का जवाब मद सं. 6 में अंकित है। मद सं. 11 ग दावा खर्चा वादीगण से दिलाया जावे। दावा की मद सं. 11 घ अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष हो तो राज्य सरकार को वादीगण से दिलाया जावे।

गौण प्रतिवादी सं. 55 से 59 की ओर से प्रस्तुत इकबाल जवाबदावा में दावा की समस्त मदों को स्वीकार करते हुए अनुतोष मद को भी स्वीकार करते हुए अंकित किया है कि दावा वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के पक्ष में डिक्री किया जाता है तो हम गौण प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं होगा। उसके साथ मुख्य प्रतिवादीगण के हिस्से की कृषि भूमि वादीगण व हम गौण प्रतिवादीगण के नाम की जाती है तो हमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति एतराज नहीं है। क्योंकि उक्त कृषि भूमि लालमोहम्मद के वारिसों का आपस में बाहमी बंटवारानामा किया हुआ है।

दावा में उपस्थित समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबाल जवाबदावा पेश होने से दावा में तनकियात् कायम की जाने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। साक्ष्यवादी में सतार व यासीन के साक्ष्य शपथ पत्र पेश हुए जिनके बयान लेखबद्ध कराये जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात् पर प्रदर्श–1 से प्रदर्श–15 तक अंकित किये गये। वकील प्रतिवादीगण द्वारा गवाहों से जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। साक्ष्यवादी के बाद साक्ष्य प्रतिवादी में गवाह युसुफ, बाबूदीन व मो. जाफर के शपथ पत्र पेश हुए जिनके बयान लेखबद्ध किये गये। वकील वादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। दावा पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी ने बहस में दावा में [illegible] का [illegible] करते हुए जाहिर किया कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 30[illegible] के पिता स्व. लालमोहम्मद की पैतृक खातेदारी की दादाला[illegible] वर्तमान में उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी में अंकित है। [illegible] कृषि भूमि का आपसी सहमति से पारिवारिक मौखिक बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार स्व. लालमोहम्मद के 1/4 हिस्से की भूमि उसके वारिसों में से वादीगण एवं गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के हिस्से में रखी गई है परन्तु

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कानूनी रूप से बंटवारा नहीं हुआ है। इसके साथ ही स्व. लालमोहम्मद के वारिस वादी सं. 2 यासीन का नाम नामान्तरण सं. 319 व सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबन्दी तैयार करते समय सहवन से भूलवश अंकित होने से छूट गया है जो आज तक दर्ज नहीं हुआ है जबकि लालमोहम्मद के स्वर्गवास के बाद दर्ज विरासतन नामान्तरकरण में यासीन का नाम दर्ज हुआ था एवं उक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद भी तत्समय तैयार की गई जमाबन्दी में भी अंकित हुआ था। इसलिए वादगत कृषि भूमि में से स्व. लालमोहम्मद के हिस्से की सम्पूर्ण 1/4 हिस्से की कृषि भूमि में घोषणात्मक खातेदारी, दुरूस्ती रिकार्ड वादीगण एवं गौण प्रतिवादीगण के नाम से करवाकर खाता विभाजन करवाने हेतु यह दावा माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। दावा में समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबालदावा पेश किया गया है। किसी भी पक्षकार को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। हमने दावा में प्रस्तुत दस्तावेजात् को साक्ष्यवादी से प्रमाणित कराया है तथा साक्ष्य प्रतिवादी में उपस्थित गवाहान ने भी दावा को स्वीकार करने में कोई आपत्ति या एतराज पेश नहीं किया है। इसलिए दावा वादीगण के पक्ष में पूर्णतया साबित होता है। अतः दावा स्वीकार फरमाया जावे।

वकील प्रतिवादीगण ने बहस में कथन किया कि दावा में हमने अपना इकबाल जवाब पेश किया है। दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। पैरोकार राज ने कथन किया कि वादगत कृषि भूमि में वादी यासीन का नाम दर्ज किया जाना उचित है।

वकील उभयपक्ष को सुना जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात् प्रदर्श–1 से प्रदर्श–15 तक एवं साक्ष्य शपथ पत्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर वकील उभयपक्ष द्वारा की बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादीगण ने अपने दावा में अंकित किया है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्टेयर, ख.नं. 305 तादादी 0.3920 हैक्टेयर, 317 तादादी 1.5176 हैक्टेयर रोही ग्राम गाजसर की कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक दादालाई कृषि भूमि है जिसमें उनके पिता लालमोहम्मद का 1/4 हिस्सा रहा है। उक्त कृषि भूमि का आपसी बाहमी बंटवारा किया हुआ है। इस बंटवारा के अनुसार वादीगण सं. 1 से 5 व गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के हिस्से में ख.नं. 304 की कृषि भूमि में से 1/4 हिस्से की 1.4385 हैक्टेयर भूमि आई हुई है जिस पर उनका संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा प्रतिवादी सं. 1 से 28 के हिस्से में ख.नं. 305 व 317 की कृषि भूमि आई हुई है। इसलिए वादगत कृषि भूमि ख.नं. 304 के 1/4 हिस्से में से मुख्य प्रतिवादी सं. 1 से 28 का नाम हटाया जाकर उक्त भूमि वादीगण एवं गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के नाम राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्सा ब.हि.ब. दर्ज करने की खातेदारी घोषणा की जावे एवं इसी अनुसार खाता विभाजन किया जावे। साथ ही वादी सं. 2 का नाम नामान्तरण सं. 319 व सम्वत् 2056 की जमाबन्दी में सहवन से दर्ज होने से छूट गया था, जो उसके सही हिस्से अनुसार दर्ज किया जावे। वादीगण ने वादगत कृषि भूमि के समस्त खातेदारों व हितबद्ध व्यक्तियों को दावा में प्रतिवादी व गौण प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार बनाया है। दावा में मुख्य प्रतिवादीगण व गौण प्रतिवादीगण ने दावा के समस्त बिन्दुओं को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब पेश किया है तथा किसी भी पक्षकार को कोई एतराज आपत्ति नहीं है। दावा में मुख्य प्रतिवादी सं. 1 से [illegible] 51, जो इस दावा में प्रभावित पक्षकार हैं, ने वादीगण द्वारा बताये गये बाहमी बंटवारे [illegible] तथ्य [illegible] स्वीकार करते हुए वादगत कृषि भूमि के 1/4 हिस्से में से अपने नाम [illegible] वादीगण व गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के नाम दर्ज करने का निर्णय [illegible] कोई एतराज या आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है। मुख्य प्रतिवादी सं. 29 से 48 व 50, [illegible] दावा में प्रभावित पक्षकार नहीं है, ने भी बाहमी बंटवारे के तथ्य को स्वीकार करते हुए दावा स्वीकार किये जाने में कोई एतराज आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रतिवादी सं. 52 राजस्थान सरकार की ओर से पैरोकार राज ने भी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: Self Attested

इकबाल जवाब पेश किया है। साक्ष्य वादी एवं साक्ष्य प्रतिवादी में उपस्थित गवाहान ने अपने बयानों में वादीगण द्वारा दावा में चाहे गये अनुतोष को दिये जाने में कोई एतराज आपत्ति नहीं होने बाबत बयान किये हैं। साथ ही वादी सं. 2 यासीन, जो स्व. लालमोहम्मद का पुत्र है, का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से सहवन से छूट जाने के तथ्य को भी स्वीकार करते हुए उसका नाम राजस्व रिकार्ड में उसके सही हिस्से में दर्ज करना उचित बताया है।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षेत्रफल ख.नं. 304 तादादी 22.15 बीघा ग्राम गाजसर है जिसके अनुसार उक्त खसरा नम्बर पुराने ख.नं. 154 तादादी 22.15 बीघा से बना होना दर्शित है। प्रदर्श–2 नकल नामान्तरण सं. 319 दिनांक 10.09.98 ग्राम गाजसर है जिसके अनुसार यह नामान्तरण खातेदार सुलेमान के फौत होने पर दर्ज किया गया जिसमें कॉलम सं. 7 में खातेदारों के नाम दर्ज करते समय लालमोहम्मद के समस्त 6 वारिसों के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में वादी सं. 2 यासीन का नाम छोड़कर गुलामनबी, युसफ, बाबुदीन, सतार पि. लालमोहम्मद बहिब 5/24 हि. सरवरअली, याकूब, रफीक, मुजफर, मोहम्मदहुसैन, साबिर पि. अब्दुल्लाह बहिब 1/24 हि. ही अंकित किया गया है। प्रदर्श–3 नकल नामान्तरण सं. 89 दिनांक 15.03.80 ग्राम गाजसर है जिसके अनुसार यह नामान्तरण खातेदार लालमोहम्मद व उसके पुत्र अब्दुल्ला के फौत होने पर दर्ज किया गया है जिसके कॉलम सं. 11 में गुलामनबी, युसफ, यासीन, बाबुदीन, सतार पि. लालमोहम्मद बहिब 5/24 हि. सरवरअली, याकूब, रफीक, मुजाफर, मोहम्मदहुसैन, साबिर पि. अब्दुल्लाह बहिब 1/24 हि. अंकित है जिसकी स्वीकृति हुई है। प्रदर्श–4 से प्रदर्श–6 नकल जमाबन्दियां सम्वत् 2010, सम्वत् 2016 से 2019 व सम्वत् 2021 ख.नं. 154 तादादी 22.15 बीघा ग्राम गाजसर हैं, जिनमें जमाल वल्द शेरा कौम लोहार सा. कस्बा चूरू काश्तकार बन्दोबस्ती व खातेदार अंकित है। प्रदर्श–7 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2032 से 2035 ख.नं. 304 तादादी 22.15 बीघा ग्राम गाजसर है जिसमें समसुदीन वल्द गनी 1/4 हिस्सा, लालमोहम्मद, सुलेमान पि. जमाल ब.हि.बराबर 1/2 हि. सदीक वल्द सफीमोहम्मद 1/4 हि. कौम लुहार सा.चूरू खातेदार अंकित है। प्रदर्श–8 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2039 से 2042 ख.नं. 304 तादादी 22.15 बीघा ग्राम गाजसर है जिसमें समसुदीन वल्द गनी 1/4 हिस्सा, गुलामनबी, युसफ, यासीन, बाबुदीन, सतार पि. लालमोहम्मद बहिब 5/24 हि. सरवरअली, याकूब, रफीक, मुजाफर, मोहम्मदहुसैन, साबिर पि. अब्दुल्लाह बहिब 1/24 हि. सुलेमान वल्द जमाल 1/4 हि. सदीक वल्द सफीमोहम्मद 1/4 हि. कौम लुहार सा. चूरू खातेदार ई.नं. 89 अंकित है। प्रदर्श–9 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2048 से 2051 में भी इन्द्राज प्रदर्श–8 के अनुरूप ही दर्ज हैं। प्रदर्श–10 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2056 से 2059 में रमजान, फकरूदीन पि. सुलेमान कौम लुहार 1/4 हि. बहिब आमीन, शौकतअली, लियाकतअली, ताजमोहम्मद, खुशीमोहम्मद, जैतून, ताजबानो, हाजरा पि. समसुदीन हि. 1/4 बहिब गुलामनबी, युसफ, बाबुदीन, सतार पि. लालमोहम्मद बहिब 5/24 हि. सरवरअली, याकूब, रफीक, मुजाफर, मोहम्मदहुसैन, साबिर पि. अब्दुल्लाह बहिब 1/24 हि. कौम लुहार सा.चूरू खातेदार ई.नं. 319 अंकित है। प्रदर्श–11, प्रदर्श–12 ए, 12 बी जमाबन्दियां सम्वत् 2060 से 2063 व 2064 से 2067 में भी वादगत 1/4 हिस्से बाबत इन्द्राज प्रदर्श–10 के समान हैं। प्रदर्श–13 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2036 ग्राम गाजसर है जिसमें इन्द्राज प्रदर्श–7 के समान ही है। प्रदर्श–14 नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 20[illegible] ग्राम गाजसर [illegible] 304 तादादी 5.7541 हैक्टेयर है जिसमें वादी सं. 1, 3 से 5 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 51 [illegible] प्रतिवादी सं. 53 से 59 के नाम खातेदारी में दर्ज हैं। इस प्रकार सम्वत् 2036 व उसके बाद [illegible] तक के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी सं. 2 यासीन का नाम दर्ज नहीं है। [illegible] नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम गाजसर ख.नं. 305, 317 तादादी क्रमशः 0.3[illegible], 1.5176 हैक्टेयर है जिसमें अन्य वादीगण व प्रतिवादीगण के साथ वादी सं. 2 यासीन का नाम खातेदारी में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा मय दस्तावेज प्रदर्श–1 से प्रदर्श–15 तक के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 304 रोही ग्राम गाजसर की भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज जमाल वल्द शेरा की खातेदारी की रही है जो वर्तमान में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की है। वादीगण द्वारा अपने दावा के माध्यम से मुख्य रूप से दो अनुतोष चाहे गये हैं। प्रथम अनुतोष यह चाहा गया है कि वादगत कृषि भूमि में लालमोहम्मद के वारिसान के नाम दर्ज 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा वादीगण व गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के पक्ष में की जावे व प्रतिवादी सं. 1 से 28, 49 व 51 के नाम इस भूमि से हटाये जावें तथा साथ में प्रतिवादी सं. 1 से 51 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा भी चाही गई है। वादीगण ने इस अनुतोष के सम्बन्ध में मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि वादगत कृषि भूमि का आपसी बाहमी बंटवारा हो चुका है जिसके अनुसार ख.नं. 304 का 1/4 हिस्सा वादीगण व गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के हिस्से में रखा गया है जिस पर उनका संयुक्त कब्जा काश्त है। दावा में प्रतिवादीगण ने कोई आपत्ति नहीं कर इकबाल जवाब पेश किये हैं तथा साक्ष्य में उपस्थित गवाहों ने भी इस पर अपनी सहमति प्रदान की है। वादीगण ने दावा को साबित करने हेतु प्रदर्श–1 से प्रदर्श–15 तक पेश किये हैं। यह सही है कि इस अनुतोष बाबत किसी पक्षकार को कोई आपत्ति होने का तथ्य यहां प्रत्यक्ष नहीं है परन्तु वादीगण द्वारा चाहे गये उक्त अनुतोष को दिये जाने से ख.नं. 304 में से प्रतिवादी सं. 1 से 28, 49 व 51 के खातेदारी अधिकार पूर्णतया समाप्त होते हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 63 में किसी आसामी के कृषि अधिकारों का अवसान के सम्बन्ध में प्रावधान किये गये हैं कि आसामी का उसके भूमि क्षेत्र या उसके किसी भाग में, यथास्थित, हित उस स्थिति में जबकि– **क. यह ऐसा उत्तराधिकारी छोड़े बिना मृत्यु को प्राप्त हो जाये जो इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उत्तराधिकार प्राप्त करने का हकदार हो, ख. वह उसे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में समर्पित या परित्यक्त कर दे, ग. उसकी भूमि, 1894 भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत अवाप्त कर ली गई हो, घ. वह कब्जे से वंचित कर दिया गया हो और कब्जा वापिस लेने का उसका अधिकार मियाद से बाधित हो गया हो, ड़. वह इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में उससे बेदखल कर दिया गया हो, च. वह उसमें निहित भूमि–धारी के समस्त अधिकारों को प्राप्त कर लेता है अथवा भूमिधारी उसे उत्तराधिकार में या अन्यथा अवाप्त कर लेता है, छ. वह उसे इस अधिनियम के उपबंधो के अनुसरण में बेच देता है या दान दे देता है, ज. यदि वह विधि मान्य पारपत्र प्राप्त किये बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार बिना भारत से किसी विदेश को प्रव्रजन करे। झ. यदि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन भूमि आवंटन रद्द कर दिया जावे या भूमि पुनः कब्जे में लेने का आदेश दिया जावे।** इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों में से कोई भी स्थिति इस प्रकरण में प्रत्यक्ष नहीं है बल्कि इस दावा में प्रतिवादी खातेदारों के इकबाल दावा के आधार पर उनका हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में छोड़े जाने की मांग की जा रही है। इस सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 55 में समर्पण बाबत प्रावधान किया गया है जिसके अनुसार समर्पण केवल भूमि धारक को ही किया जाना चाहिए, अन्य किसी के पक्ष में नहीं। प्रस्तुत दावा में प्रतिवादी खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त करने की मांग की जा रही है जो उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार विधिसम्मत नहीं है। किसी भी खातेदार को अपना हक हिस्सा अन्य खातेदार या व्यक्ति को हस्तान्तरण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विधिक प्रावधान स्थापित किये गये हैं जिनके अनुसार नियमों की पालना करते हुए वह अपना हक हिस्सा अन्य को हस्तान्तरित कर सकता है। इस प्रकार इकबालिया जवाब के आधार पर खातेदारों के खातेदारी अधिकार समाप्त किया जाना यह न्यायालय उचित नहीं मानता क्योंकि इससे राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियमों की पालना सम्भव नहीं होगी तथा राज्य सरकार को राजस्व हानि होने की भी सम्भावना है। इस प्रकार वादीगण द्वारा चाहा गया वादीगण एवं गौण प्रतिवादी सं. 53 से 59 के पक्ष में 1/4 हिस्से की खातेदारी की घोषणा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 28, 49, 51 के

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

नाम राजस्व रिकार्ड से हटाने बाबत प्रथम अनुतोष अस्वीकार करने योग्य है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 51 के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अंकन दावा में अवश्य किया है परन्तु उक्त तथ्य को अपने दस्तावेजों एवं साक्ष्य सबूतों से साबित नहीं किया है तथा ना ही बहस में इस बाबत मांग की गई है। इसलिए बिना किसी उचित कारण एवं आवश्यक आधार के सह खातेदारों के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। इसलिए स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष साबित नहीं होने से अस्वीकार करने योग्य है।

वादीगण द्वारा द्वितीय अनुतोष में मांग की गई है कि वादी यासीन का नाम उसके सही हिस्से के अनुसार दुरूस्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में से प्रदर्श–3 व प्रदर्श–2 के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि इस कृषि भूमि में 1/4 हिस्से के खातेदार लालमोहम्मद के स्वर्गवास के बाद दर्ज नामान्तरण सं. 89 दिनांक 15.03.80 में उसके समस्त 6 वारिसों गुलामनबी, युसफ, यासीन, बाबुदीन, सतार पि. लालमोहम्मद व सरवरअली, याकूब, रफीक, मुजाफर, मोहम्मदहुसैन, साबिर पि. अब्दुल्लाह के नाम विधिवत दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अंकित किये गये तथा बाद में वादी सं. 2 यासीन पुत्र लालमोहम्मद का नाम राजस्व रिकार्ड में निरन्तर चलता रहा परन्तु वर्ष 1998 में 1/4 हिस्सा के खातेदार सुलेमान के फौत होने पर दर्ज नामान्तरण सं. 319 दिनांक 10.09.98 में लालमोहम्मद के वारिसान में से वादी सं. 2 यासीन पुत्र लालमोहम्मद का नाम लिखने से रह गया एवं जब उक्त नामान्तरण का सम्वत् 2056 से 2059 की जमाबन्दी में अमल दरामद किया गया तो यासीन का नाम राजस्व रिकार्ड में भी दर्ज नहीं हो पाया। उसके बाद से आज तक उसका नाम रिकार्ड से हटा हुआ है। वादीगण ने अपने दावा व प्रतिवादीगण ने जवाब में वादी सं. 2 का नाम उसके वास्तविक हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने की मांग की है। पैरोकार राज ने वादी सं. 2 का नाम दर्ज किया जाना उचित बताया है। प्रदर्श–2, प्रदर्श–3, प्रदर्श–8 व प्रदर्श–10 के अवलोकन से यह साबित होता है कि वादी सं. 2 यासीन वादगत कृषि भूमि में लालमोहम्मद के 1/4 हिस्से में से पैतृक हिस्सेदारी के अनुसार 1/24 हिस्से का खातेदार है जिसका नाम रिकार्ड में दर्ज होने के बाद सहवन से हुई भूल के कारण राजस्व रिकार्ड से हट गया जिसको दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना हम न्यायोचित मानते हैं। वादीगण द्वारा चाहा गया द्वितीय अनुतोष वादी सं. 2 यासीन का नाम उसके सही हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत स्वीकार योग्य है।

निर्णय

उपरोक्तानुसार पत्रावली मय दस्तावेजात् के अवलोकन एवं विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादीगण अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 क, 53 आर.टी.ए. का आंशिक स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्टेयर रोही ग्राम गाजसर तहसील चूरू के राजस्व रिकार्ड में स्व. लालमोहम्मद के वारिसों गुलामनबी, युसुफ, बाबूदीन, सतार पि. लालमोहम्मद के नाम दर्ज हिस्सों में से बराबर कम करते हुए वादी सं. 2 यासीन पुत्र लालमोहम्मद का नाम 1/24 हिस्सा में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तद्नुसार युसुफ, बाबूदीन, सतार पि. लालमोहम्मद के हिस्सों एवं गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद के वारिसों के नाम दर्ज हिस्सों को दुरूस्त किया जावे। स्व. अब्दुल्ला के वारिसान के नाम दर्ज हिस्सा यथावत् रहेगा। तहसीलदार, चूरू को उक्तानुसार [illegible] अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 01.04.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक खन्ना, आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अभिषेक खन्ना आई०ए०एस०

1. सतार पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. यासीन पुत्र लाल मोहम्मद
3. मुकीना बानो पत्नी हाजी गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद
4. नत्थू पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद
5. मो. आजम पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लालमोहम्मद

(क्रम 2 से 5) जाति लोहार वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड़, चूरू तह. व जिला चूरू

- वादीगण–

बनाम

1. युसुफ पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड़ चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. बाबूदीन पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. जाफर पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
4. मो. हुसैन पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
5. साबिर पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
6. मोहम्मद इकबाल पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
7. मोहम्मद इदरीश पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
8. मोहम्मद इशहाक पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
9. मोहम्मद बुन्दु पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
10. मोहम्मद मुराद पुत्र सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
11. शकीरा बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
12. बिश्मत बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
13. रूबीना बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
14. मदीना बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
15. जुलेखा बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
16. नसीम खातून पत्नी याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
17. मोहम्मद मुबारिक अली पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
18. मोहम्मद खुर्शीद पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
19. मोहम्मद महमूद पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
20. आसिफ पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
21. हुसन बानो पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
22. रूकसाना बानो पुत्री याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
23. सुबराती पत्नी रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
24. मुस्लिम पुत्र रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
25. मुमताज पुत्र रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
26. नसरत बानो पुत्री रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
27. माफिया पुत्री रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद
28. मोबीना बानो पुत्री रफीक पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद

(क्रम 3 से 28) जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12, हाजन मस्जिद के पास तह. व जिला चूरू

29. अयूब अली पुत्र शोकत अली
30. इस्लाम पुत्र शोकत अली
31. मकसूद पुत्र शोकत अली
32. सिकन्दर पुत्र शोकत अली

(क्रम 29 से 32) जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड़ तह. व जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

33. आरीफ पुत्र आमीन
34. इकबाल पुत्र आमीन
35. जब्बार पुत्र आमीन
36. जैतून पत्नी आमीन
37. मुस्तफा पुत्र आमीन
38. सहाबुदीन पुत्र आमीन
39. हसमूदीन पुत्र सदीक
40. शरीफ पुत्र सदीक
41. मुस्ताक पुत्र सदीक
42. मो. अनवर पुत्र सदीक
43. जाकिर पुत्र सदीक
44. उम्मेद अली पुत्र सदीक
45. कमरूदीन पुत्र सदीक
46. खुशी मोहम्मद पुत्र समसुदीन
47. ताज मोहम्मद पुत्र समसुदीन
48. लियाकत अली पुत्र समसुदीन

} जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड तह. व जिला चूरू

49. मोहम्मदमुस्तफा पुत्र याकूब पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लालमोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, तह. व जिला चूरू
50. रसीद पुत्र आमीन जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतीया रोड़ तह. व जिला चूरू
51. बानो पुत्री सरवर अली पुत्र अब्दुल्लाह पुत्र लाल मोहम्मद जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 10 हाजन की मस्जिद के पास, तह. व जिला चूरू
52. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू

—मुख्य प्रतिवादीगण—

53. नजमुदीन पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
54. सैयद हुसैन पुत्र हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
55. जमीला बानो पुत्री हाजी गुलाबनबी पुत्र लाल मोहम्मद
56. नजमा पुत्री हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
57. राबिया पुत्री गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
58. शमीम पुत्री हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद
59. शाकिरा पुत्री हाजी गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद

} जाति लोहार निवासी वार्ड नं. 12 काजियों का मोहल्ला भरतिया रोड तह. व जिला चूरू

—गौण प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए, 188 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 111 सन् 2020

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री शिवगौतम सोलंकी एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब एवं श्री सिकन्दर खान एडवोकेट प्रतिवादीगण व पैरोकार राज प्रतिवादी मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:—

पत्रावली मय दस्तावेजात् के अवलोकन एवं विस्तृत विवेचना के आधार पर दावा वादीगण अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 क, 53 आर.टी.ए. का आंशिक स्वीकार किया जाकर वादगत कृषि भूमि ख.नं. 304 तादादी 5.7541 हैक्टेयर रोही ग्राम गाजसर तहसील चूरू के राजस्व रिकार्ड में स्व. लालमोहम्मद के वारिसों गुलामनबी, युसुफ, बाबूदीन, सतार पि. लालमोहम्मद के नाम दर्ज हिस्सों में से बराबर कम करते हुए वादी सं. 2 यासीन पुत्र लालमोहम्मद का नाम 1/24 हिस्सा में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार युसुफ, बाबूदीन, सतार पि. लाल[illegible] के हिस्सों एवं गुलामनबी पुत्र लाल मोहम्मद के वारिसों के नाम दर्ज हिस्सों को [illegible] किया जावे [illegible] अब्दुल्ला के वारिसान के नाम दर्ज हिस्सा यथावत् रहेगा। तहसीलदार, चूरू को [illegible] अभिलेख में अमल दरामद करने का आदेश दिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Khanna
Date: 2021.09.15 11:55:00 IST
Reason: SelfAttested

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 01 माह अप्रेल सन् 2021 को जारी की गई।

(अभिषेक खन्ना आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू